मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

मंत्रालय

क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र/99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999

19-4-1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मं., म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना.

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल, में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय.

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है.

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है.

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो.

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी/अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा.

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा.
"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो."

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे.

/ / /

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह./सी/चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र/99

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999
19-4-1999

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर
सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
सचिव, वित्त की ओर महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकन हेतु.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
3. माननीय मुख्य मंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 18 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.
13. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमोन्नत वेतनमान के लिये वेतनमानों की सूची

क्रमांक	वेतनमान	क्रमोन्नति पर देय वेतनमान
1.	2550—55—2660—60—3200	2610—60—3150—65—3540
2.	2610—60—3150—65—3540	2750—70—3800—75—4400
3.	2750—70—3800—75—4400	3050—75—3950—80—4590
4.	3050—75—3950—80—4590	3500—80—4700—100—5200
5.	3500—80—4700—100—5200	4000—100—6000
6.	4000—100—6000	4500—125—7000
7.	4500—125—7000	5000—150—8000
8.	5000—150—8000	5500—175—9000
9.	5500—175—9000	6500—200—10500
10.	6500—200—10500	7500—250—12000
11.	7500—250—12000	8000—275—13500
12.	8000—275—13500	10000—325—15200
13.	10000—325—15200	10630—325—15850

* यह वेतनमान भारत सरकार के वेतनमानों में शामिल हैं, परन्तु राज्य शासन के वेतनमानों में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, अतः क्रमोन्नति अंतर्गत यह वेतनमान स्वीकृत होगा.

हस्ता./
एम. के. वर्मा
उप सचिव